

आदेश

महामारी नोबल कोरोना वायरस (कोविड-19)/2020 से बचाव एवं

रोकथाम के दृष्टिगत माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने E-Mail दिनांकित 25.03.2020 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अग्रिम आदेश तक के लिये बन्द किया गया है।


अतः न्यायालय जिला जज/अपर जिला जज न्यायालयों में दिनांक 30.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक रिमाण्ड का कार्य हेतु निम्न अपर जिला जज स्तर के अधिकारियों को नामित किया जाता है कि वे अपने नाम के सम्मुख अंकित दिनांक पर न्यायालय जिला जज तथा समस्त अपर जिला जज न्यायालयों के धारा 167 सी0आर0पी0सी0 के नवीन रिमाण्ड तथा जेल में निरूद्ध बन्धियों के रिमाण्ड इत्यादि का कार्य वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे।

क्रम सं०	नामित अधिकारी का नाम	दिनांक
1	श्रीमती दिव्या चार्म, अपर जिला जज कोर्ट सं०8	30.03.2020
2	शुबी पूनम त्रिवेदी, अपर जिला जज कोर्ट सं०8	31.03.2020
3	श्री आशीष शर्मा, अपर जिला जज पास्तो कोर्ट सं०13	01.04.2020
4	श्री सन्तोष कुमार, अपर जिला जज पास्तो कोर्ट सं०12	03.04.2020
5	श्री प्रहलाद टण्डन, अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पास्तो कोर्ट सं०11	04.04.2020
6	श्री सुवेन्द राय, अपर जिला जज कोर्ट सं०7	06.04.2020
7	श्री एहसायुल्लाह खान, अपर जिला जज कोर्ट सं०5 (रिसेप्टर एक्ट)	07.04.2020
8	श्री सुनाज देवा, अपर जिला जज कोर्ट सं०4(ई0पी0एक्ट)	08.04.2020
9	श्री अरविन्द कुमार उपपट्टाच, अपर जिला जज कोर्ट सं०3	08.04.2020
10	श्री अखिलेश दुरै, अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट	10.04.2020
11	श्री अयाज अहमद, अपर जिला जज कोर्ट सं०1	13.04.2020
12	श्रीमती दिव्या चार्म, अपर जिला जज कोर्ट सं०8	14.04.2020

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा समस्त बार एसोसियेशनों को सूचनार्थ एवं किसी ध्यानाकर्षी स्थान नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु प्रेषित की जाये।

सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय, उन्नाव की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।

आदेश की प्रति सर्वसम्बन्धित अधिकारीगण को इलेक्ट्रॉनिक मीडियों से सूचनार्थ प्रेषित की जावे।


जनपद न्यायाधीश, उन्नाव ।
28.03.2020

600 11 608